न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

1

आपराधिक प्रक0क्र0-728 / 15

संस्थित दिनाँक-28.09.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म०प्र०) ..

.....अभियोगी

विरुद्ध

विष्णुदत्त पुत्र रामगोपाल पाराशर उम्र 43 साल निवासी यादव मौहल्ला वार्ड नं0 12 गोहदी गेट गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

__:: निर्णय ::— {आज दिनांक 10.07.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 26.06.15 को सुबह 5 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे बूटी कुईया रोड के पास सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0–07 जीए–2706 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादिवा की धारा 337, 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि 26.06.15 को आहत मंजीत कौर भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग क0 92 पर जा रही थी। इतने में पीछे से महिन्द्रा बुलेरो लोडिंग क0 एम0पी0 07जी0ए0—2706 का चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाता लाया और आहत को टक्कर मार दी। उसके बाद आहत को ग्वालियर अस्पताल ले गए जहां इलाज उपरांत दिनांक 10.07.15 को फरियादी सेवासिंह द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट की गयी। रिपोर्ट से अप0क0—158/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत के चिकित्सीय परीक्षण दस्तावेज लिए गए, दौराने अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए बाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य न होने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —
 1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.06.15 को सुबह 5 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे बूटी कुईया रोड के पास सार्वजनिक स्थान पर वाहन कमांक एम0पी0—07 जीए—2706 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामकरन शर्मा अ०सा० 1, सेवासिंह अ०सा० 2, मनजीत कौर अ०सा० 3 जरनैलसिंह अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष//

- 7. फरियादी सेवासिंह अ0सा0 2 कथन करते हैं कि घटना साक्ष्य से दो साल पहले की है। उसकी पत्नी मंजीत कौर का बूटी कुईया के पास एक्सीडेंट हो गया था। वह पत्नी को तुरंत नवजीवन अस्पताल इलाज हेतु ले गया और बाद में उसे पता चला कि किसी महिन्द्रा गाडी ने उसकी पत्नी को टक्कर मारी थी। साक्षी घटना के संबंध में आवेदन पत्र प्र0पी0 2 थाना गोहद चौराहा पर दिया जाना बताते हैं किन्तु किस वाहन द्वारा दुर्घटना कारित की गयी, उसका कोई नंबर अपने मुख्य परीक्षण में नहीं बताते। साक्षी के कथन से यह भी दर्शित हो रहा है कि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं क्योंकि वह बाद में पता चलने की बात बताता है। घटना का सर्वोत्तम साक्षी स्वयं आहत मंजीत अ0सा0 3 घटना दो साल पहले की सुबह 5 बजे की होना बताते हुए कथन करती हैं कि वे गुरूद्वारा जा रही थी तभी ग्वालियर तरफ से एक गाडी आई जिसने उसे पीछे से टक्कर मार दी। साक्षी दुर्घटना में दाए पैर की जांघ व शरीर में चोट आने का कथन करती है किन्तु यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि कथित वाहन किस रीति से चल रहा था तथा वाहन का क्या नंबर था। ऐसे में आहत के द्वारा घटना में लिप्त वाहन के संबंध में कथन न किया जाना तथा उसके चलने की रीति का भी कोई कथन न किया जाना अभिकथित वाहन की संलिप्तता को प्रश्निचिन्हत करता है।
- 8. प्रकरण में फरियादी सेवासिंह अ०सा० 2 लिखित आवेदन प्र०पी० 2 के संबंध में ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं किन्तु पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में कथित वाहन नंबर एम०पी०–07 जी०ए० 2706 महिन्द्रा बुलेरो गाडी के संबंध में सुझाव देने पर साक्षी द्वारा इंकार

किया गया है। इसी प्रकार से मंजीत अ०सा० 3 ने भी उक्त वाहन द्वारा दुर्घटना होने के तथ्य से इंकार किया है। प्र०पी० 2 की रिपोर्ट में सेवासिंह अ०सा० 2 उसे दारासिंह व जरनेल के द्वारा वाहन एम०पी०-07 जी०ए०-2706 महिन्द्रा बुलेरो लोडिंग के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार देने की बात पता चलने के संबंध में इंकार किया है।

- 9. जरनेलसिंह अ०सा० 4 जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बताए गए हैं, उनका यह कहना हैं कि वे अपने घर के किनारें रोड पर खंडे तब आहत मंजीत गुरूद्वारा आ रही थी और ग्वालियर तरफ से आ रही एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। यह साक्षी भी अभिकथित वाहन का नंबर व उसके चलने की रीति का कोई कथन नहीं करता। इस साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से उक्त वाहन एम०पी०—07जी०ए0—2706 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार देने के तथ्य से इंकार किया है। प्रकरण में साक्षी सेवासिंह अ०सा० 2, मंजीत अ०सा० 3, जनरैल अ०सा० 4 तीनों के द्वारा उनके पुलिस कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी० 4 लगायत 6 के विनिर्दिष्ट भागों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर भी वैसे कथन लेख कराए जाने से इंकार किया है। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 26.06.15 को कारित होना बताई है जबकि प्राथमिकी दिनांक 10.07.15 अर्थात लगभग 15 दिन बाद लेखबद्ध की गयी है। किसी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी हो ऐसा भी अभिलेख पर नहीं हैं जो कि अपराध में अभिकथित वाहन व अभियुक्त की संलिप्तता को संदिग्ध बनाने के लिए अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर एक आधार निर्मित करती हो।
- 10. संहिता की धारा 279 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए वाहन के अभियुक्त द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने के संबंध में तर्क पूर्ण साक्ष्य होना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन का तर्क है कि प्रकरण में फरियादी व आहत द्वारा राजीनामा कर लिया गया है किन्तु यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि जनरैल से कोई राजीनामा नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त साक्षीगण द्वारा अभिकथित वाहन महिन्द्रा बुलैरो एम0पी0—07जी0ए0—2706 से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियुक्त द्वारा घटना के समय उसे चलाया जा रहा था, इस संबंध में भी कोई भी तर्कपूर्ण साक्ष्य नहीं दी है। जहां तक प्र0पी0 2, 4, 5, 6 के दस्तावेजों का प्रश्न हैं तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के संबंध में विरोधाभास और लोप को दर्शाने हेतु किया जा सकता है। स्वयं दस्तावेज सारवान साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते हैं। रामकरन शर्मा अ0सा0 1 मैकेनिकल जांचकर्ता है जो घटना से करीब 3 माह पश्चात् मैकेनिकल जांच करते हैं, ऐसे में उनकी साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई सारवान तथ्य प्रकट नहीं होता है।

- 11. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 26.06.15 को सुबह 5 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे बूटी कुईया रोड के पास सार्वजनिक स्थान पर वाहन कमांक एम0पी0—07 जीए—2706 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 13. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- अभियुक्त की निरोधाविध के संबंध में धारा 428 दप्रसं0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।
 निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
 हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

सही / –

कर घोषित किया गया ।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ALIMAN PAROLE SUNT